

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 15 दिनांक 19.07.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन मंगलवार दिनांक से दिनांक 19.07.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 19.07.2016 समय 04.40 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 14 समय 04.50 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पेशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) दक्षिण-पश्चिम लगभग 3 कि०मी०

(ख) पता:-

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- शहर गुडगांव, जिला गुडगांव

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : अजय वर्मा (ख) (पिता/पति का नाम) श्री जगदीश चन्द्र

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ङ) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) मकान न० सी० 82 Distt. Court Gurgaon  
P.Add. H.No. 303, Sector 4 Gurgaon

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

Monpal Clerk SDM office Gurgaon.

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक सत्यप्रकाश PS SVB गुडगांव बादस्त EHC रंगराज न० 88/GGN बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबुन जैल है, "सेवा में श्रीमान DIG साहब Vigilance Bureau State Gurgaon Sub Complaint Against Monpal Clerk in SDM Office Gurgaon for demanding 800 Rs. रिश्वत के लिए Vulcan forge P.LTD IMT Manesar Gurgaon श्रीमान जी मैं अजय Verma Advocate जो की Gurgaon Court में Practice करता हूँ। हमे अपने client के Case के लिए Routine में Stamp Paper Court

मे जमा करने होते है तथा Case के बाद हमे Refund करने होते है। SDM Office मे जब मै अपने Client Vulcon Forge की कोर्ट मे Case खत्म होने के बाद Refund के लिए SDM Office मे गया तो वहा पर Monpal Clerk उसको Deal करता है। उसने हमसे उस File के लिए 5% रिश्वत मांगी जो कि 2000 रु थे। Stamp Paper का Amount 40,000 रु है। हमने उससे बोला कि हम नही देगे। तो वो बोला नही सर फिर आपकी File पास नही होगी। यही पडी रहेगी। आप Advocate हो आप 2% दे देना यानी कि 800 रुपये अभी भी वो हमे फोन करके 800 रुपये के लिए हर रोज फोन कर रहा है और हम यह रिश्वत देना नही चाहता। कृप्या करके उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उचित कानूनी कार्यवाही की जाये न्याय के लिए मेरा Mopal से कोई व्यक्तिगत लेन देन नही है न ही कोई जातिगत दुश्मनी है धन्यवाद हस्ता अग्रेंजी—Ajay Verma S/o Sh. Jagdish Chander R/o C-82 Distt court Gurgaon व H.No. 303 Sector 4 Gurgaon dt 19.07.16 M. No. 9899310062” कार्यवाही पुलिस— आज मन नि० हाजिर कार्यालय SVB/GGN हूँ कि अमित वर्मा उपरोक्त ने मुलाकि होकर एक लिखित दरखास्त मार्कशुदा DIG/SVB साहब मन निरीक्षक को पेश कि जो मजबुन दरखास्त से सुरत जुर्म जेर धारा 7 PC ACT का सरजद होना पाया जाकर एक रैडिंग पार्टी जिसमे SI सत्यप्रकाश, SI प्रकाश चन्द 258H, SI रामानन्द को शामिल करके तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC रंगराज न० 88/GGN के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करे। स्पैशल रिपोर्ट बजरिया मसैन्जर इलाका मजिस्ट्रेट वा अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन नि० मय तफतीशी बैग मय मुदई मय रैडिंग पार्टी बा सवारी गाडी सरकारी HR-68 8353 चालक EHC रामानन्द 2414/FBD के बराये अनुमति रैड व नियुक्त डियुटी मजिस्ट्रेट रवाना उपायुक्त कार्यालय गुडगांव का होता हूँ। हस्ता निरीक्षक सत्यप्रकाश PS SVB GGN dt 19.07.16 at 04:35 PM अज थाना— आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय मे चाक की गई। जो सेवा में अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब गुडगांव नियमानुसार भेजी जाएगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट साहब गुडगांव बादस्त EHC रंगराज न० 88/GGN भेजी जा रही है। असल मिशल(असल तहरीर) भी मौका पर पहचाने हेतु इसी आरिन्दा EHC रंगराज न० 88/GGN के हवाले की गई ।

Attest  
निरीक्षक  
चौकसी ब्यूरो (ह०)  
गुडगाँवा मण्डल न. गाँवा

हस्ता अग्रेंजी/— रमेश कुमार  
थाना प्रभारी का नाम  
नाम : रमेश कुमार  
पद : निरीक्षक  
सख्यां : 22/H  
दिनांक 19.07.2016 समय 06.30 पी.एम